International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 13 Issue 8 || August 2024 || PP. 125-129

राजनीति में दलित महिलाओं की भागीदारी का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. विजय कुमार वर्मा
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी महत्वपूर्ण है और एक स्वतंत्र और सम्मानित भारतीय समाज के लिए आवश्यक है कि महिलाएं राजनीति में अपना स्थान बनाएं इसके बाद भी भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या अभी भी चिंताजनक है। यह एक विचारणीय विषय है। 'राजनीतिक भागीदारी' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है यह न केवल 'वोट के अधिकार' से संबंधित है, बल्कि इसके साथ–साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से भी संबंधित है। भारत का संविधान लिंग व जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाकर महिलाओं के लिए हर प्रकार की असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। दलित महिलाएं भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं उन्हें लंबे समय तक सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर अपमानित किया जाता रहा है। भारत सरकार ने सकारात्मक हस्तक्षेप एवं सकारात्मक उपयोगों के माध्यम से उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नीतियां विकसित की है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। महिला आरक्षण, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण कार्यक्रम आदि कुछ उदाहरण हैं जो महिलाओं को राजनीतिक परिवेश में सक्षम बनाने में सहायता करते हैं। हालांकि यह अभी भी लंबी प्रक्रिया है और हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि हम एक समान और न्याय पूर्ण समाज तक पहुंच सकें।

दलित महिलाओं की निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति व जातिगत भेदभाव और छुआछूत एक व्यक्ति के रूप में उनकी क्षमताओं का अवमूल्यन करती है। प्रस्तुत अध्ययन में उन सामाजिक संदर्भों का वर्णन किया गया है जिसमें जातिगत भेदभाव समाज की कड़वी सच्चाई है, जिससे बचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। जातिगत भेदभाव और छुआछूत भारत के न केवल अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है, बल्कि नए सामाजिक आर्थिक स्वरूपों में शहरी क्षेत्रों में भी विद्यमान है, जिसके कारण जातिगत बहिष्करण के कारण दलित महिलाओं को उनके रोजमर्रा के जीवन में असमानता और शोषण का अनुभव करना पड़ता है। जागरूकता और संसाधनों की कमी, जातिगत भेदभाव के विरूद्ध लड़ने के लिए साहस का अभाव उन्हें और कमजोर बनाता है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी न केवल उन्हें सशक्त बनाने में सहायता करती है बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। महिलाओं की सोच, दृष्टि और अनुभव से ऐसी नई नीतियां बन सकती है जो हमें एक अधिक विकसित समृद्ध भारत की ओर ले जा सकती हैं।

इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाएं पूरी तरह से सक्षम हों और उनका योगदान हमारे राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण हो। महिलाएं एक ऐसी बंद सामाजिक व्यवस्था में काम करती हैं जहां वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपने पुरुष सदस्यों के अधीन रहती हैं लेकिन एक दलित महिला के रूप में उनकी स्थिति और भी खराब है। भारतीय समाज में दलित सदियों से सामाजिक–आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से वंचित रहे हैं, जिसके कारण वे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भेदभाव और शोषण का अनुभव करते हैं। फिर भी यह आशा की जाती है कि दलित सामाजिक परिवर्तन कानून और उसके सही क्रियान्वयन से अपने आधारभूत अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन समाज की यह कठोर सच्चाई है कि जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता अभी भी जारी है। दुनिया भर में महिला नेताओं की संख्या बढ़ी है लेकिन वे अभी भी एक छोटे समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं दुनिया भर में औपचारिक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। महिला नेताओं की कम भागीदारी को दूर करने के लिए भारत में 1994 में 73 वें और 74 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए स्थानीय सरकारों में 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने के लिए कोटा आरक्षण की व्यवस्था की गई जिससे स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बढ़ी है। पिछले कई दशकों में महिलाओं के मुद्दे वैश्विक सार्वजनिक एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं। इन्होंने दलित महिलाओं की अलग तरह से बात करने की आवश्यकता को समझने के लिए इस घटना पर असर डालने वाले आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों को रेखांकित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दलित महिलाओं की पहचान को एक स्वतंत्र और स्वायत्त दावे को 11 अगस्त 1995 को दिल्ली में नेशनल फेडरेशन और दलित वूमेन (NFDW) के गठन में पहली अभिव्यक्ति मिली। अंबेडकर के बाद के काल में दलित पुरुष नेताओं ने दलित महिलाओं की स्वतंत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति को हमेशा अपने अधीन रखा है और कभी–कभी उसका दमन भी किया है। जिस पर दलित महिलाओं ने क्षेत्रीय सम्मेलनों और दिल्ली सम्मेलन में इस राजनीतिक हाशिए पर जाने की खुले ढंग से निंदा की है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह तर्क देना संभव है कि

दलित महिलाएं राज्य और राज्य मध्यस्थता वाली दलित पितृसत्ता को चुनौती दे सकती है। यह तब सिद्ध हुआ जब बिहार के बोध गया की दलित महिलाओं ने दलित पुरुषों के नाम पर जमीन सौंपने के राज्य के फैसले का विरोध किया।

भारतीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल उनकी सशक्तिकरण का माध्यम है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। महिलाएं एक समान साझीदारी के रूप में राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रहेंगी तो समाज में समानता और विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। सामान्य रूप में भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी दर कम रही है जो कई कारकों पर निर्भर करती है उन बारों में सामाजिक–आर्थिक बाधाएं सांस्कृतिक बाधाएं एवं भूमिका निर्वाह से संबंधित बाधाओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है।

भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की गारंटी देता है। पुरुष व महिलाओं को समान नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, लेकिन आंकड़े देखें तो भारत महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मामले में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान सहित कई देशों से पीछे हैं। अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) के आंकड़े दर्शाते है, कि भारत की लोकसभा में केवल 14.94 प्रतिशत और राज्यसभा में 14.05 महिलाओं की भागीदारी है जो कि उनकी जनसंख्या के अनुसार बहुत कम प्रतिनिधित्व है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहां लोकसभा में 542 सदस्यों में से 78 महिलाएं संसद सदस्य हैं और राज्यसभा में 224 सदस्यों में से 24 महिलाएं राज्यसभा सदस्य है। आंकड़े दशति है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी नगण्य है। भारत में राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं की संख्या आजादी के 75 वर्षों के बाद भी निराशाजनक बनी हुई है। भारत में आजादी के शो बाद पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल हुई जिनका कार्यकाल (2007–2012) था। जिसके बाद 2022 में द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के सप में पदभार संभाला। यह भारत की दूसरी महिला और कार्यभार संभालने वाली पहली आदिवासी (दलित महिला) हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 28 राज्यों में से वर्तमान में केवल एकमात्र प्रदेश पश्चिम बंगाल में महिला मुख्यमंत्री है वो यह दर्शाता है कि सरकार की प्रभावी नीतियों के बाद भी महिलाओं च राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना कम है।

सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के रूप में वर्तमान शोध का अध्ययन उदारवादी नारीवाद दृष्टिकोण से किया गया है। उदारवादी नारीवाद जिसे मुख्यधारा नारीवाद भी कहा जाता है। नारीवाद की एक प्रमुख शाखा है जो उदार लोकतंत्र के ढांचे के भीतर राजनीतिक और कानूनी सुधार के माध्यम से लैंगिक समान प्राप्त करने और मानवाधिकार परिषद से सूचित होने पर केंद्रित है। उदार नारीवाद की जड़े 19वीं शताब्दी के प्रथम लहर नारीवाद में है। महिलाओं को समान नागरिक के रूप में मान्यता देना विशेष रूप से महिलाओं के मताधिकार और शिक्षा तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित करना है। उदारवादी नारीवाद, सार्वजनिक दुनिया विशेष रुप से कानून, राजनीतिक संस्थानों, शिक्षा और कामकाजी जीवन पर जोर देता है और समान कानूनी और राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने को समानता के लिए प्रमुख बाधा मानता है। ऐसे में उदारवादी नारीवादियों ने महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिए काम किया है। उदारवादी नारीवाद, समावेशी और सामाजिक रूप से प्रगतिशील है।

जॉन स्टुअर्ट मिल ने "The Subjection of women" पुस्तक लिखी और कहा कि लैंगिक न्याय पाने के लिए महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार व शिक्षा के अलावा राजनीतिक और आर्थिक अवसर भी उपलब्ध होने चाहिए। पुरुष वर्चस्ववाद की सामाजिक वैध रूप से मान्यता प्राप्त सत्ता को मिल ने मनुष्य की स्थिति में सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा बताते हुए स्त्री संबंधों में पूर्ण समानता की पक्षधरता की है।

उदारवादी नारीवादी मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट ने 1792 में "A Vindication of the Rights of women" नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने जोर दिया कि दमनकारी पदानुक्रम प्राकृतिक नहीं है। महिलाएं पुरुषों के बराबर क्यों नहीं हो सकती हैं और महिलाओं को नागरिक और राजनैतिक रोजगार से क्यों बाहर रखा जाना चाहिए?

साहित्य समीक्षा

विद्वान पाई ने अपने अध्ययन में पाया कि दलित अभिकथन, उत्तर प्रदेश की राजनीति तथा समाज का महत्वपूर्ण चरित्र है और यह अचानक नहीं हुआ बल्कि समय–समय पर सकारात्मक भेदभाव की नीति, विकास तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संभव हुआ है। यह सामाजिक–सांस्कृतिक आंदोलन और गतिशीलता दलित आधारित पार्टी के द्वारा संभव हुई है। यहां पर दलितों के अभिकथन के विभिन्न रूप तथा प्रारूप हैं जो सामाजिक–सांस्कृतिक और राजनीतिक शिक्षा तथा आर्थिक प्रस्थिति, स्थिति तथा स्रोतों हेतु अंबेडकर की अवधारणा तथा जातिगत पार्टी को वोट देकर कर रहे हैं।

पीतम और पुंडीर ने अपने अध्ययन में 1952 से 1996 तक के चुनाव में यूपी की राजनीति में महिलाओं की पृष्ठभूमि, भूमिका और भागीदारी का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश महिला विधायकों की राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है तथा वह शिक्षित है और आर्थिक रूप से संपन्न है। आगे उन्होंने बताया है कि संख्या बल कम होने के कारण महिला विधायकों की विधानसभा में चर्चाओं व कार्यवाही में भागीदारी कम रही है।

उन्होंने राजनीतिक प्रक्रिया में विशेष रूप से महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थितियों, नेताओं के रूप में उनकी भूमिका, विधानसभा में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों और महिला राजनेताओं के रूप में उनकी विकसित होने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया है। ग्रेल ओमवेट ने अपने अध्ययन में पाया कि दक्षिण एशिया भले ही दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली महिला नेताओं का दावा करता है लेकिन महिलाओं की समग्र राजनीतिक भागीदारी निराशाजनक बनी हुई है। यह लेख सामुदायिक प्रबंधन स्थानीय प्रशासन और आरक्षण जैसे विभिन्न महिलाओं से संबंधित पहलुओं की जांच करता है। यह इन देशों की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी विश्लेषण करता है। इसके साथ ही यह नौकरशाही और राजनीतिक दलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की बात करता है।

नगारची के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आधुनिक भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देश की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, समर्पण एवं कार्य कुशलता से सबको परिचित कर दिया है। सन 1992 में किए गए संवैधानिक संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में 30 प्रतिशत महिला आरक्षण ने महिलाओं को नई राजनीतिक ऊर्जा प्रदान की है जिस कारण से भारतीय राजनीति में महिलाओं की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी ने पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ा अवश्य है। महिलाओं की समस्याओं और विकास के क्रम में आरक्षण के आधार पर महिलाओं को कानूनी संरक्षण व उनके आत्म बल को बढ़ाया गया है और अपनी आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के सपनों को पूर्ण करने की दिशा में सक्रियता व सजगता के साथ वह कदम बढ़ा रही हैं।

सक्सेना और कश्यप ने अपने लेख "छत्तीसगढ़ की पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व एवं महिला सशक्तिकरण एक समीक्षात्मक अध्ययन" में बताया है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायत के द्वारा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है जिसके परिणामस्वरूप पंचायत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व 58.78 प्रतिशत है जो यह दर्शाता है कि महिलाओं के राजनैतिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। आधुनिक भारत में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से देश की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा समर्पण एवं कार्य कुशलता से सबको परिचित करा दिया है। संसद व विधायिका में सीमित साझेदारी के बावजूद महिलाओं ने अपनी पंचायत के द्वारा समाज में अटूट छाप छोड़ी है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से न केवल स्वयं महिला वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है अपितु इन सब ने एकजुट होकर ग्रामीण स्तर के लोगों की स्थिति बदलने का भरपूर प्रयास भी किया हैं, जिनमें निरंतर वृद्धि हो रही है।

प्रस्तुत अध्ययन के दो प्रमुख उद्देश्य हैं–

1. उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं की राजनीतिक स्थिति और भूमिका का अध्ययन करना इस उद्देश्य का तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1996 से 2022 तक दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का आकलन करना, किस प्रकार 1996–2022 तक दलित महिलाओं की राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, का अध्ययन करना।

2. उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में उनकी सामाजिक–आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जांच करना इस उद्देश्य से तात्पर्य है कि राजनीति में दलित महिलाओं की आयु, जाति, उप–जाति, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, व्यवसाय और धर्म की स्थिति का अध्ययन करना एवं सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि कैसे उनके राजनैतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करती है का विश्लेषण करना।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में उत्तर प्रदेश राज्य में दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का अध्ययन किया गया है। शोध कार्य में प्रमुखतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप को लिया गया है। प्रस्तुत शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसमें तथ्य संकलन के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोध–पत्र, शोध–पत्रिकाओं, समाचार पत्र व चुनाव आयोग की वेबसाइट की सहायता ली गई है तथा समसामयिक मुद्दों व अनुभवों को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का भी प्रयोग किया गया है।

उत्तर प्रदेश में राजनीति में दलित महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण : हम समाज में महिलाओं की भूमिका को मजबूत करें और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सम्मान और अधिकार प्राप्त करने का मार्ग प्रदान करें तो देखा जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों में महिलाएं नेतृत्व और निर्णयन की उपलब्धि में वृद्धि कर रही हैं लेकिन उनकी समान भागीदारी का स्तर अभी भी कम है।

सारणी–1

उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 2002 से 2022 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

सन्	2002	2007	2012	2017	2022
कुल सीटे	403	403	403	403	403
प्रतिभागियों की संख्या	344	370	583	482	559
कुल निर्वाचित	26	23	35	42	47
सामान्य महिलाएं	11	15	22	31	28

दलित महिलाएं	15	8	13	11	19

स्रोतः चुनाव आयोग भारत सरकार, (सन् 2002 से 2022)

सारणी 1 में दर्शाए गए आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 2002 से 2022 तक के विधानसभा चुनाव में महिलाओं एवं दलित महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बड़ा है। उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बड़ी है। सारणी में दर्शाया गया है कि उत्तर प्रदेश के 2002 के विधानसभा चुनाव में जहाँ 15 दलित महिलाएं सदन पहुंची, वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक दलित महिलाएं चुनकर विधानसभा सदन पहुंची हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि राजनीति में महिलाओं ने वृद्धि दर्ज की है। जहाँ चुनी हुई महिलाओं के सदन पहुंचने में वृद्धि देखी गई है, वही दलित महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है।

सारणी–2

उत्तर प्रदेश विधान सभा में अनुसूचित जाति पुरुष व अनुसूचित जाति महिलाओं का प्रतिनिधित्व

सन्	2002	2007	2012	2017	2022
कुल सीटे	89	89	85	84	84
पुरुष निर्वाचित	74	81	72	73	65
महिला निर्वाचित	15	8	13	11	19

स्रोतः चुनाव आयोग भारत सरकार, (सन् 2002 से 2022)

सारणी 2 से स्पष्ट देखा जा सकता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के चुने जाने का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। उनमें से भी अगर अनुसूचित जाति की सीटो को देखा जाए तो उसमें भी दलित महिलाओं की तुलना में दलित पुरुषों का वर्चस्व दिखाई पड़ता है। 2002 से 2022 तक दलित महिलाओं की संख्या में तो वृद्धि हुई है पर दलित पुरुषों के मुकाबले अभी उनकी संख्या कम है। अनुसूचित जाति की कुल 84 सीटों में से 2022 में 65 पुरुषों के मुकाबले मात्र 19 महिलाएं निर्वाचित हुई है, जो की काफी निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करता है।

सारणी–3

उत्तर प्रदेश में महिला प्रतिनिधियों की राजनैतिक भागीदारी सम्बन्धित तालिका

सन्	विधायक	सन्	सांसद
2002	26	1998	9
2007	23	2004	7
2012	35	2009	12
2017	42	2014	13
2022	47	2019	11

स्रोतः चुनाव आयोग भारत सरकार

सारणी 3 में दर्शाए गये आंकड़ों के आधार पर यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी बढ़ी है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2002 में मात्र 26 महिलाएं विधायक चुनी गई, वहीं पर संख्या 2022 में बढ़कर 47 पर पहुंच गई इसी प्रकार भारत की संसद में उत्तर प्रदेश से महिलाओं का प्रतिनिधि राहै। जही 1998 में मात्र 09 महिलायें चुनी गई वहीं 2019 में 11 महिला सांसद उत्तर प्रदेश से चुनी गई है इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय राजनीति में यह संख्या में निश्चित रूप से और बढ़ेगी तब अत्यधिक महिलाएं संसद में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

के विश्लेषण से प्रदेश में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर विशेष प्रवृतियां देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव में महिला प्रत्याशियों की संख्या तुलनात्मक रूप से बढ़ी है पूर्व की अपेक्षा विभिन्न कारणों जैसे महिलाओं के साक्षरता प्रतिशत बढ़ना, राजनीतिक पार्टियों द्वारा राजनीतिक रुझान बढ़ने, जागरुकता की बढ़ती दर के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ही है, जिससे विधानसभा में महिला प्रतिनिधि लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है दलित महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता पहले की तुलना में धीरे–धीरे बढ़ रही है पहुंचती हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं की तुलना में दलित महिलाओं की विधानसभा में संख्या अभी चिन्ताजनक है।

दलित महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सशक्तिकरण में आत्म विश्वास पैदा करने, नेतृत्व गुणों को विकसित करने और उनके कानूनी और राजनीतिक अधिकारों के विषय में जागरूक होने के लिए पर्याप्त करने की आवश्यकता है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महिला साक्षरता व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थय, देखभाल, उनकी स्थिति की देखभाल और राजनीतिक सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्रयास जारी

रखने की आवश्यकता है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलायें अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति समय के साथ अधिक जागरूक हुई है तथा महिलाओं की राजनीतिक भागदारी सम्बन्धी क्रियाकलाप भी बढ़े है। दलित महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देश के विकास में संतुलन व समावेशी विकास को बढ़ावा देगी।

संदर्भ–सूची

1- मिल, जॉन स्टुअर्ट, (2012), द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, रावत पब्लिकेशन, पृ. 266–268
2- Wollstonecraft, Mary, A Vindication of the Rights of women' gender a Sociological understanding Pearson 1792, PP-50
3- Pai Sudha- New social and political Movement of Dalits: A study of Meerut District', Contribution to Indian Sociology vol-34 2000 pp- 189&220-9213-928.
4- Singh, pitam- Pundir, JÆ- 'Women Legislators in UP: Background, Emergence and Role', Economic and political weekly,vol-37, 2002, pp-923&928.
5- Omvedt, Gail. Women in Governance in south Asia', Economic and political weekly, vol.40, 2005, pp. 4746-4752.